International Journal of Applied Research 2019; 5(1): 523-525

**ISSN Print:** 2394-7500
**ISSN Online:** 2394-5869
**Impact Factor:** 5.2
IJAR 2019; 5(1): 523-525
www.allresearchjournal.com
Received: 12-11-2018
Accepted: 15-12-2018

**रंजीता कुमारी**
शोध छात्रा, गृह विज्ञान विभाग, ल. ना. मि. वि. दरभंगा, बिहार, भारत

**Corresponding Author:**
**रंजीता कुमारी**
शोध छात्रा, गृह विज्ञान विभाग, ल. ना. मि. वि. दरभंगा, बिहार, भारत

# बच्चों के सर्वांगीण विकास में समेकित बाल विकास परियोजना की भूमिका

## रंजीता कुमारी

**सारांश**
बच्चों का सर्वांगीण विकास मानव संसाधन विकास का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसके अंतर्गत देश में चल रहे सामान्य विकास कार्यक्रमों से मिलने वाले लाभों के अलावा इन दो वर्गों को विशेष सहायता दी जाती हैं। महिलाओं और बच्चों के लिए चल रहे विकास कार्यक्रमों को पुनजीवित करने के लिए सितम्बर 1985 में बने मानव संसाधन विकास मंत्रालय में महिला और बाल विकास के लिए अलग विभाग बनाया गया। विकास और कल्याण कार्यक्रमों को क्रियाान्वित करने का दायित्व केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से निभाया जा रहा है। कल्याणकारी योजनाएँ तथा कार्यक्रम बनाने के अतिरिक्त केन्द्र सरकार केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों तथा स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों को निर्देश देने, उनमें समन्वय स्थापित करने तथा उन्हें प्रोत्साहन देने का कार्य भी करती है।बाल विकास सेवाएँ मानव संसाधन विकास में कूल सहायक कार्य हैं, क्योंकि इन्हें छः साल तक के बच्चों और गर्भवती एवं प्रसूता महिलाओं के लिए विशेष रूप से बनाया गया है।

**प्रस्तावना**
वर्तमान समय में बाल विकास कार्यक्रमों को देश में उच्चतम प्राथमिकता दी गई है। अगस्त 1974 में सरकार द्वारा अपनायी गई राष्ट्रीय बाल–नीति के अनुसार बच्चे देश की सार्वाधिक महत्वपूर्ण सम्पत्ति हैं। यह नीति देश पर बच्चों के पालन तथा हित चिंतन का दायित्व डालती है। बच्चों की सारी अनिवार्य सेवाओं पर ध्यान केन्द्रित करके तथा उनके नियोजन, समीक्षा तथा समन्वय के लिए एक राष्ट्रीय बाल विकास बोड़ बनाया गया है। इसी प्रकार के बोर्ड मुख्य मंत्रियों, उपराज्यपालों/प्रशासकों की अध्यक्षता में सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में भी बनाए गए हैं। बच्चों का सर्वांगीण विकास मानव संसाधन विकास का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसके अंतर्गत देश में चल रहे सामान्य विकास कार्यक्रमों से मिलने वाले लाभों के अलावा इन दो वर्गों को विशेष सहायता दी जाती हैं। महिलाओं और बच्चों के लिए चल रहे विकास कार्यक्रमों को पुनजीवित करने के लिए सितम्बर 1985 में बने मानव संसाधन विकास मंत्रालय में महिला और बाल विकास के लिए अलग विभाग बनाया गया। विकास और कल्याण कार्यक्रमों को क्रियाान्वित करने का दायित्व केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से निभाया जा रहा है। कल्याणकारी योजनाएँ तथा कार्यक्रम बनाने के अतिरिक्त केन्द्र सरकार केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों तथा स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों को निर्देश देने, उनमें समन्वय स्थापित करने तथा उन्हें प्रोत्साहन देने का कार्य भी करती है।

बाल विकास विभाग को एक केन्द्रीय संस्था के रूप में कार्य करने का दायित्व सौंपा गया जिससे कि वह इस क्षेत्र में काम कर रही सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं को निर्देश देने, उनमें समन्वय स्थापित करने तथा उनके पुनर्निरीक्षण का मार्क कर सके। इस विभाग के कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बच्चों, खासकर समाज के निर्बल वर्गो का, समन्वित कार्यक्रमों द्वारा कल्याण करना है।

इस विभाग में दो ब्यूरो हैः (1) पोषाहार और बाल विकास तथा (2) महिला कल्याण और विकास। आयोजना, अनुसंधान और सांख्यिकी अनुभाग इस विभाग के कार्यकलापों को तकनीकी सहायता देता है। केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड तथा राष्ट्रीय जनसहयोग और बाल विकास संस्थान इस विभाग को इसके कार्यों में मदद देते हैं। इनके अलावा स्वैच्छिक संस्थाएँ भी इस कार्य को करने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।

पोषाहार तथा बाल विकास विभाग बच्चों के कल्याण और विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने तथा बाल विकास की समग्र नीति निर्धारित करने के अलावा बाल विकास कार्यक्रमों में समन्वय के लिए भी उत्तरदायी है। महिला कल्याण और विकास विभाग देश में महिला कल्याण और विकास के

कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करने के लिए उत्तरदायी हैं। इसके अलावा यह विभाग महिलाओं के कल्याण और आर्थिक विकास के कुछ कार्यक्रमों का क्रियान्वयन भी करती है।

बाल विकास सेवाएँ मानव संसाधन विकास में कूल सहायक कार्य हैं, क्योंकि इन्हें छः साल तक के बच्चों और गर्भवती एवं प्रसूता महिलाओं के लिए विशेष रूप से बनाया गया है। इस योजना में छोटी उम्र के बच्चों को कई तरह की सेवाएँ प्रदान की जाती है। इनमें पूरक पोषाहार और स्वास्थ्य शिक्षा तथा अनौपचारिक पूर्व–विद्यालय शिक्षा शामिल है। छठी योजना के अंत तक केन्द्र द्वारा प्रायोजित 1,019 बाल–विकास परियोजनाएँ स्वीकृत की जा चुकी थी। 1985–86 में 211 परियोजनाएँ तथा 1986–87 में 250 अन्य समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई। इसके अलावा राज्य क्षेत्र में राज्य सरकारों ने 179 परियोजनाएँ शुरू की। अब तक पूरे देश में इस तरह की 1,659 समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाएँ स्वीकृत की जा चुकी हैं। ये परियोजनाएँ अत्यंत पिछड़े ग्रामीण/जनजाति इलाकों तथा शहरों के झुग्गी–झोंपड़ी क्षेत्र के चुने हुए खंडों में लागू की जा रही है। सरकारी रिपोर्टों के अनुसार इन परियोजनाओं में 95.80 लाख लाभार्थियों के पूरक पोषाहार पर तथा तीन से छः साल के 44.02 लाख बच्चों को स्कूल से पहले की शिक्षा देने के दौरान पूरक आहार पर खर्च किए गए।

इस योजना में नौकरीपेशा तथा बीमार महिलाओं के पाँच वर्ष तक के बच्चों को कुछ सेवाएँ दी जाती है। इनमें दिन में देखभाल, सोने की व्यवस्था, पूरक पोषाहार, दवाएँ, मनोरंजन तथा साप्ताहिक स्वास्थ्य जांच शामिल है। स्वैच्छिक संगठनों द्वारा क्रियान्वित की जाने वाल इस योजना की शुरूआत 1974–75 में 247 बालवाड़ियों की छोटी सी संस्था से हुई, जिसमें लगभग 5,000 बच्चे थे। बाद के वर्षों में इस योजना ने जोर पकड़ा तथा आज लगभग 9,068 बालवाड़ियाँ हैं, जिनमें 2,27,450 बच्चों को लाभ मिल रहा है। इसके अलावा लगभग 3,000 अतिरिक्त बच्चों को, जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है, संस्थागत और पालन–पोषण सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

1970–71 में प्रारम्भ किए गए विशेष पोषाहार कार्यक्रम के अंतर्गत नगरों की गंदी बस्तियों, जनजातियों तथा पिछड़े इलाकों में छः वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है। यह कार्यक्रम मुख रूप से बाल विकास कार्यक्रमों का लाभ उठाने वालों की जरूरतें पूरी करता है। अभी पूरे देश में लगभग 110 लाख लोगों को इस कार्यक्रम से आंशिक लाभ पहुँचाया जा रहा है।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत स्कूल जाने की अवस्था से छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं, तथा प्रसूता महिलाओं के लिए जनवरी 1986 से गेहूँ पर आधारित पूरक पोषाहार के एक नए कार्यक्रम के शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के और उपरोक्त विशेष पोषाहार कार्यक्रम के उद्देश्य, इनसे लाभान्वित होने वाला वर्ग तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाएँ इत्यादि लगभग एक जैसी हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वर्तमान की खाद्यान्न सेवाओं का दायरा बढ़ाकर मुख्यतः जनजतीय क्षेत्रों, शहरों की गंदी बस्तियों और पिछड़े ग्रामीण इलाकों में और अधिक लोगों को लाभ पहुँचाने का है। इस कार्यक्रम के दो भाग हैं–अतिरिक्त उपभोक्ताओं को केन्द्रीय सहायता जिसमें मुफ्त गेहूँ तथा अन्य खाद्य पदार्थों को समर्थित मूल्य पर दिलाना, अनुदान तथा राज्यों द्वारा चलाए गए पोषाहार कार्यक्रमों में गेंहू के प्रयोग के लिए राज्यों को अुनदान देना शामिल है। एक अन्य पोषाहार कार्यक्रम स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा बालवाड़ियों और दिन में बच्चों की देख भाल करने वाले केन्द्रों के माध्यम से चलाया जाता है। अतंर्राष्ट्रीय बाल कल्याण के क्षेत्र में स्वैच्छिक प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय बाल विकास पुरस्कारों की व्यवस्था की गई। बाल विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संसीाओं तथा व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिए जाते है। 1986 से इस योजना में संशोधन करके संस्थाओं को पांच तथा व्यक्तियों को तीन पुरस्कार देने की व्यवस्था की गई है।

धर्मार्थ संस्था अधिनियम, 1980 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय बाल विकास वर्ष 1979 में एक राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा बाल विकास के लिए चलाए गए नवीन कार्यक्रमों में सहायता के लिए स्त्रोत का निर्माण करना है।

भारत 1949 से यूनीसेफ से सम्बद्ध रहा है। बाल कल्याण से सम्बंधित कार्यक्रमों के लिए यूनीसेफ भारत को आर्थिक और तकनीकी सहायता देता है। भारत ने यूनीसेफ के सामान्य संसाधानों में अपना योगदान बढ़ाया है जो अब 280 लाख रुपये है। 1961 के वर्ष तथा अगस्त 1977 से 31 जुलाई 1977 तक के एक अन्य वर्ष को छोड़कर भारत लगातार यूनीसेफ की कार्यकारी परिषद का सदस्य रहा है।

नई दिल्ली स्थित 'राष्ट्रीय जन सहयोग तथा बाल विकास संस्थान' स्वैच्छिक कार्य तथा बाल विकास के क्षेत्र में शोध, मूल्यांकन तथा प्रशिक्षण का कार्य करता है। विभिन्न प्रकार की समस्याओं पर शोध करना तथा समेकित बाल विकास सेवाओं के कार्यकर्ताओं व सामाजिक प्रशासन के क्षेत्र में कार्य कर रहे वरिष्ठ अधिकारियों को प्रशिक्षण देना इसके कार्यक्रम में सम्मिलित है। इस संस्थान की तीन क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी, बंगलूरू तथा लखनऊ में हैं। इस संस्थान ने महिलाओं और बालवाड़ी कार्यक्रम के अंतर्गत 14 नई अनुसंधान परियोजनाओं को प्रायोजित किया है।

मंत्रालय द्वारा कल्याण एवं विकास कर्यक्रमों के लिए सम्मुचित संख्या में प्रशिक्षित कार्यकर्ता उपलब्ध करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम विभिन्न शैक्षणिक, शोध तथा प्रशिक्षण संस्थाओं के सहयोग से प्रायोजित किए गए है। बाल विकास कार्यक्रम के कार्यकर्ताओं को देश भर में फैले 300 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त लगभग 20 ऐसे प्रशिक्षण केन्द्र है जो समन्वित बाल विकास सेवा के मध्यम स्तर के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जन सहयोग तथा बाल विकास संस्थान, वरिष्ठ स्तर के विभिन्न समाज कल्याण कार्मिकों को प्रशिक्षण देते हैं।बाल विकास सेवा कार्यक्रम के स्वास्थ्य अवयव (जिसमें स्वास्थ्य जाँच, टीकाकरण व रेफरल सेवाएँ समाविष्ट हैं) के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रभावी ढ़ंग से सेवाएँ सुनिश्चित कराने हेतु स्वास्थ्य विभाग व आई0 सी0 डी0 एस0 में समन्वय की आवश्यकता है।

## निष्कर्ष

अध्ययन से स्पष्ट है कि बाल विकास परियोजना द्वारा प्रदत्त सेवाओं से लाभान्वित होने के फलस्वरूप गैर–बाल विकास परियोजना क्षेत्र की तुलना में बाल विकास परियोजना क्षेत्र के बच्चों का पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर अपेक्षाकृत बेहतर पाया गया। यद्यपि दोनों क्षेत्र में ही कुपोषण संबंधी समस्याओं को जनभागीदारी द्वारा प्रभावी योजनाओं के माध्यम से निराकरण की आवश्यकता है।बाल विकास परियोजना की सेवाओं से लाभान्वित होने के कारण गैर–बाल विकास परियोजना की तुलना में बाल विकास परियोजना के बच्चों में कुपोषण की कमी तथा कौशल एवं दक्षता अधिक पाई गई है। टीकारण से लाभान्वित बाल विकास क्षेत्र के बच्चों का स्वास्थ्य भी तुलनात्मक रूप से अच्छा है, गर्भवती एवं शिशुवती माताएँ भी बाल विकास परियोजना की सेवाओं से लाभान्वित होने के कारण स्वयं एवं शिशु की उचित देखभाल करती है। फलस्वरूप शिशु मृत्युदर में कमी आई है तथा शिशुओं का जन्मभार भी औसत ठीक है। पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा की जानकारी से माता के स्वास्थ्य की स्थिति भी पहले से बेहतर पाई गई है। कुल मिलाकर ये कार्यक्रम अपने वांछित उद्देश्यों में पूरी तरह सफल नहीं हो रहा है। अतः इसमें व्यापक सुधार किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

## संदर्भ


1. मुदाम्बी, एस.आर. एवं राजगोपाल, एम.भी., फंडामेण्टलस ऑफ फूड्स एण्ड न्यूट्रीशन, विली–ईसट्रन लि, 2011, पृ.–11
2. वही, पृ0–95.
3. त्रिवेदी, बी.के.. श्रीवास्तव, बी.सी. महेश्वरी, बी.बी–ए स्टडी ऑफ हाईट एण्ड वेट ऑफ प्राईमरी स्कूल चिल्ड्रेन ऑफ ए रूरल एरिया नियर कानपुर, 2013, पृ.–24
4. रिपोर्ट ऑफ स्कूल हेल्थ मिटी पार्ट–1–मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गोवर्नमेंट ऑफ इण्डिया, 2015, पृ.–69
5. वही, पृ0–61.